दलितों व शोषितों का पाक्षिक पत्र
विज्ञापन के लिए केन्द्रीय सरकार व राज्यों द्वारा स्वीकृत

हमायती

सम्पादक–डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर

❑ *वर्ष 58* ❑ *अंक-9* ❑ *दिल्ली* ❑ *मार्च 2020 (प्रथम)* ❑ *मूल्य : 2 रु.*

शूद्र एवं ब्राह्मणवाद

राम श्रेष्ठ दीवाना

महान देशभक्त अमर बलिदानी भगत सिंह ने कहा था–''ईश्वर मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुनिया के दिमाग को गुलाम बनाने के लिए शोषकों, बेईमानों और धूर्तों के द्वारा ईश्वर की पैदाइश की गई। जिस दिन समाज से ईश्वर का खात्मा हो जाएगा उस दिन समाज में जितनी खाइयां हैं सब मिट जाएंगी। शोषण, जुल्म, अत्याचार और कमीनापन खत्म हो जाएगा।''

ईश्वर सत्ता के खिलाफ भगत सिंह का ऐसा क्रांतिकारी बयान 23 मार्च, 1931 को आया था जिस दिन गोरी सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसदी दे दी थी।

भगत सिंह का ईश्वर सत्ता के खिलाफ ऐसा विद्रोह दलित चिंतन का बहुत बड़ा हिस्सा है। आजादी की लड़ाई में साम्राज्यवाद के खिलाफ भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को शामिल होना मानवता की मुक्ति की लड़ाई के परिपेक्ष्य में देखना हमें बेहतर होगा। अगर ऐसा चिंतन हमारा नहीं है तो हम न तो मार्क्सवाद व अम्बेडकरवाद को ठीक समझ सकते हैं। बल्कि बाभनवादी संस्कृति के खिलाफ न जंगे–इन्कलाब कर सकते हैं। इसीलिए जब अदालत में जज न भगत सिंह से संसद भवन में बम फेंके जाने का कारण पूछा तो भगत सिंह ने बड़े गर्व से कहा था, ''क्रांति करने के लिए हम ने संसद भवन में बम फेंका था।''

जज न पूछा, ''तेरी नजरों में क्रांति का क्या अर्थ है?''

भगत सिंह ने कहा, ''क्रांति का अर्थ है शोषण पर आधारित समाज की पूरी तरह खात्मा, जहां सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा।''

हमारा ख्याल है कि इस परिपेक्ष्य में भी हम अपने इतिहास पर विचार करें तो सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास को समझने में हमें मदद मिल सकती है।

वर्षों से सवर्णों का अधिकार ज्ञान–विज्ञान, साहित्य–कला और उत्पादन के साधनों पर रहा है। इन सभी चीजों पर आधिपत्य जमाने के लिए कई तरह की पाखंडपूर्ण साजिशें ये वर्ग करते रहे हैं और अन्तोगत्वा ईश्वर नाम का पाखंड को पैदा कर हमें गुलाम बनाया गया।

ईसा से पूर्व 4000–1000 के बीच में दुनिया में पढ़ने–लिखने का कौशल का विकास हो गया था। इतिहास के गहन पड़ताल से हमें पता चलता है कि मध्य पूर्व में नील नदी की घाटी, दजला और फरात के बीच के बड़े भू–भाग तथा एशिया में चीन का मैदान भाग तथा भारत में सिन्धु घाटी का क्षेत्र जहां पढ़ने–लिखने की कौशल का विकास हो गया था।

सिन्धु घाटी की सभ्यता अनार्य संस्कृति की प्रतीक थी, वहीं भारतीय और स्वदेश संस्कृति और सभ्यता हमारी थी। मगर आज से लगभग पांच हजार वर्ष पूर्व मध्य एशिया से लूटेरे आर्य आकर हमारी अनार्य संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया और हमें गुलाम (दास) बना दिया गया। इनके अत्याचार और जुल्मों के खिलाफ लड़ते हुए हजारों अनार्यों ने अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी। जो बचे जंगल में भाग गये। और हमें कई जातियों और उपजातियों में बांटकर दास बना लिया गया।

आर्यों के नापाक ओर शैतान राजा मनु ने हमें 6743 जातियों तथा 6743 × 7=47201 उपजातियां में बांट दिया। आर्यों ने भारत पर कब्जा कर लेने के बाद यहां के मूल निवासियों की जातियों में भी परिवर्तन किया जो निम्नलिखित है–

*** <u>भारतवासी</u>**

विदेशी

1. कसाइट, 2. आर्य, 3. देव, 4. अथर्वा, 5. ब्राह्मण, 6. रथाइप्ट, 7. क्षत्री, 8. वस्तारिया, 9. वैश्य।

*** <u>मूलवासी</u>**

1. द्रविड़, 2. अनार्य, 3. दानव, 4. असुर, 5. नीच, 6. नान्ह, 7. रेयान, 8. दास, 9. दस्यु, 10. राक्षस, 11. शूद्र, 12. अवर्ण (6743) जातियां।

6743 × 7 (उपजातियां) = 47201 जातियां

(शेष पृष्ठ 3 पर)

सम्पादकीय

जोर जुल्म की टक्कर में जयभीम हमारा नारा है

अभी नागरिकता संशोधन बिल (सी.ए.ए.), राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एन.सी.ए.) तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (पी.एन.आर.) को देश में लागू करने के मुद्दे पर मचा बबाल तो शांत नहीं हुआ है। इन्हें लागू होने पर देश में तगमा देश के मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों व अल्पसंख्यकों पर लगने का डर सता रहा है। इसलिए इसे भारतीय संविधान विरोधी करार देते हुए और इन्हें काला कानून बताते हुए वे देश में इसके विरोध में धरने–प्रदर्शन कर रहे हैं और इन काले कानूनों को जन विरोधी बताते हुए सरकार से इन्हें वापिस लेकर सदा के लिए 'रद्द' करने की मांग कर रहे हैं। देश के दलित–पिछड़े–अल्पसंख्यक तो मौजूदा सरकार की इन काले कानूनों को लागू करने की हठधर्मी को सरासर बाबा साहब डा. अम्बेडकर के द्वारा निर्मित भारतीय संविधान को नष्ट करने की पहल मानते हैं, इसलिए वे भी कमर कसकर 'भारतीय संविधान बचाओ' के बैनर तले लामबन्द हो रहे हैं।

किसी देश के प्रजातंत्र के चार स्तम्भ होते हैं–विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। अगर हम गहराई से जांच करें कि क्या ये चारों स्तम्भों देश के अधिकार विहिन बहुजनों के संवैधानिक अधिकार दिलाने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में कार्य कर रहे हैं, तो हमें पूर्ण निराशा हाथ लगेगी। कहने को प्रधानमंत्री मोदी भले ही यह नारा लगाते रहे–''सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास'' पर चुनाव में सबका साथ लेकर वे दुबारा प्रधानमंत्री बन गये, पर देश में आज न सबका विकास दिखाई पड़ता है और अब न उनमें सभी का 'विश्वास' कायम रह गया है। सच्चाई तो यह है कि 2014 से जब से भाजपा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार आई है देश में एक विचित्र डर का वातावरण दिखाई पड़ता है, उसमें सहिष्णुता, भाईचारा, पारस्परिक प्रेम व सहानुभूति नजर नहीं आती। देश हिन्दू–मुसलमान, आस्तिक–नास्तिक, मन्दिर–मस्जिद खानों में बंटा नजर आ रहा है। देश को भाईचारे की भावना को बढ़ाने के स्थान पर लोगों को हिन्दुस्तानी व पाकिस्तानी, अमीर–गरीब, सवर्ण–दलित, ऊंच–नीच की श्रेणी में बांटकर देश में 'रामराज्य' की पुनर्स्थापना का नारा जोरों से गुंजाया जा रहा है। जबकि वह 'रामराज्य' किसी भी वर्ग, श्रेणी, जाति के लिए सुखकर नहीं था।

सदियों से प्रताड़ित देश के दलित आजादी मिलने और बाबा साहब डा. अम्बेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान के देश में लागू होने पर सोचते थे कि उन्हें सामाजिक समता के सभी अधिकार मिल जायेंगे और संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सभी सुविधायें मिल जाने पर वे सत्ता, शासन–प्रशासन में अन्य वर्चस्व सवर्ण लोगों के साथ बैठ सकेंगे। उन्हें शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, न्याय की सुविधा आसानी से मिल सकेगी।

देश को आजादी मिले 73 साल हो चुके हैं और भारतीय संविधान को लागू हुए 70 साल बीत चुके हैं। पर जब हम इस दौरान दलितों को मिले सामाजिक समता के अधिकारों पर गहराई से विचार करते हैं तो पाते हैं कि दलितों की वह आशा पूरी होने की जगह निराशा ही हाथ लगती है। जिस जाति आरक्षण के सहारे वह सत्ता, शासन–प्रशासन में बराबरी के अधिकार मिलने की आस लगाये हुए थे, वह 'आस' अभी तक पूरी नहीं हुई। उल्टे दलितों (अनुसूचित जाति/ अनु. सूचित जनजाति) के

(शेष पृष्ठ 2 पर)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी प्रकाशन

विश्व धरातल पर दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अंधा समाज और बहरे लोग	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
सिन्धु घाटी बोल उठी	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अब नहीं रहेंगे हाशिये पर	डॉ. सुमनाक्षर	80/–
अम्बेडकर शतक	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
विश्व विभूति डा. अम्बेडकर	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
दलित लेखक परिचय ग्रंथ (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	250/–
बुद्धा टू अम्बेडकर (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	150/–
दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर दर्शन	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
हमारे संत और समाज सुधारक	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
धर्म और समाज	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
आदिम जाति चमार (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	300/–
दलित उद्घोष	डा. सुमनाक्षर	80/–
दलित साहित्य की हुंकार–सात समन्दर पार	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
युगपुरुष बाबू जगजीवनराम	डॉ. सुमनाक्षर	200/–
प्राचीन आदिम जाति वाल्मीकि (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
सभ्यता, संस्कृति, समाज और साहित्य	आचार्य गुरुप्रसाद	100/–
डा. अम्बेडकर भजनावली	राजमल 'राज'	25/–
हमारे दलित गौरव	राजमल 'राज'	25/–
भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर	राजमल 'राज'	25/–
मूल भारती से दलित	राजमल 'राज'	50/–
अम्बेडकरवाद बनाम सामाजिक परिवर्तन	राजमल 'राज'	80/–
दलित साहित्य–दशा और दिशा	डा. माता प्रसाद	200/–
दलित साहित्य से सामाजिक परिवर्तन	डा. माता प्रसाद	100/–
भारत की गुलामी के 22 सौ साल	प्रदीप कुमार मौर्य	250/–
सृजन के कण	जीपी पचौरिया 'दीप'	150/–
बौद्ध धर्म–गया से अयोध्या तक	प्रदीप कुमार मौर्य	120/–
गांधी, अम्बेडकर और दलित	प्रदीप कुमार मौर्य	100/–
सत्सम दर्शन	राजमल 'राज'	100/–
जागा मेहनतकश इंसान	राजमल 'राज'	50/–
हम एक हैं	डा. माता प्रसाद	60/–
रैदास से संत शिरोमणि गुरु रविदास	डा. माता प्रसाद	50/–
ताकि सनद रहे	डा. सुमनाक्षर	100/–

पुस्तक मंगाने के लिए मनीआर्डर से राशि अग्रिम भेजें, व्यवस्थापक,

दलित साहित्य सेन्टर

(भारतीय दलित साहित्य अकादमी)

बी–3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन–1, दिल्ली–9

फोन : 27421449, 27421460, मो. 9810278936

सम्पादकीय का शेष.....जोर जुल्म की टक्कर में जयभीम हमारा नारा है

उस साढ़े बाईस प्रतिशत को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों की नौकरियों में लागू करने से पहले आना–कानी की गई, हर तरह से कोताही बरती गई। ऊपर से सख्ती होने पर आरक्षण कोटे की पूर्ति तो की गई, पर उसे अदालतों में चुनौती देकर आरक्षित पदों को भरने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी और बाद में खाली उन पदों को 'जनरल' घोषित कर उन्हें सवर्ण लोगों से भर लिया गया।

देश में लोकतंत्र के चारों स्तम्भों में से कोई भी दलितों का हमदर्द नहीं है। उन्हें इस बात से भी कुछ लेना–देना नहीं है कि दलितों को मिला संवैधानिक आरक्षण कोई भीख नहीं, बल्कि 'कम्युनल अवार्ड' में अंग्रेजी हुकूमत से मिले दो वोट के अधिकार, पृथक निर्वाचन, सरकारी नौकरियों व निर्वाचन में उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षित पदों के अधिकारों को छोड़कर महात्मा गांधी को जीवनदान देकर महात्मा गांधी और बाबा साहब डा. अम्बेडकर के बीच हुए 'पूना पैक्ट' के तहत मिला 'आरक्षण' है जिसे बाद में भारतीय संविधान में दलितों के विशेष अधिकार के रूप में दर्ज करके कानून सम्मत बनाया गया।

पर अफसोस यही है कि लोकतंत्र के इन चारों स्तम्भों पर काबिज लोग दलितों के आरक्षण के संवैधानिक अधिकार की विशेषता, वास्तविकता, सत्यता और ऐतिहासिक सच पर गौर ही नहीं करना चाहते, और वे सोचते हैं कि दलितों को आरक्षण देने से सवर्ण समाज पिछड़ जायेगा, और इससे दलितों का वर्चस्व बढ़ जायेगा, जबकि 'आरक्षण' की सुविधा समाज में समता लाने और दलितों को देश की मुख्य धारा में जोड़ने का था, पर राष्ट्रहित में इस पर वे सोचने के लिए तैयार नहीं। इसलिए न तो कार्यपालिका दलितों के आरक्षण कोटे को भरना चाहती है, न ही न्यायपालिका सामाजिक समता के लिए जरूरी 'आरक्षण' सुविधा देने के लिए ईमानदारी से प्रतिबद्ध है, जहां तक मीडिया की बात है वह चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया–वे सभी बड़े सवर्ण घराने के हैं जो वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं। फिर उनके 'मीडिया' कर्मी कैसे वर्ण व्यवस्था के खिलाफ और संवैधानिक प्रदत्त आरक्षण के पक्ष में बोल सकते हैं। यही देश में दिन रात हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। सत्ता पर बैठे लोग दलितों के हित की बात कर उनसे हमदर्दी में घड़ियाली आंसू दिखाते हैं और इसके लिए शासन में बैठे नौकरशाही को धोखा देते हैं कि वे दलितों के अधिकारों की पेरवी ढंग से नहीं कर रही तभी न्यायालयों, अदालतों व अन्य कोर्टों में वे दलितों के हितों की लड़ाई हार जाते हैं। मीडिया दलितों के अधिकारों पर झूठी बहस कर अपनी कार्यपूर्ति कर लेती है। यही हो रहा है। पिछले साल हमने देखा कि दलितों को उत्पीड़न से बचाने के लिए जो अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण कानून सरकार ने 1989 में बनाया था, जिसमें अपराधी को गिरफ्तार करने और गैर–जमानत का प्रावधान था, उस सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर करते हुए इस कानून में 'अपराधी' को बिना जांच किए गिरफ्तार न करने और उसे 'जमानती' प्रावधान बना दिया था, उस से इस कानून की 'शक्ति' ही खत्म हो गई थी। दलितों ने सड़क पर आकर जब 'जन–आन्दोलन' किया और मौजूदा सरकार पर दबाव बना तो वह संसद में दुबारा उस कानून को लेकर आई और उसे पहले जैसा ताकतवर बना दिया। यह दलित जनता के आंदोलन से दुबारा कारगर हो सका।

गत वर्ष ही, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के तुगलकाबाद गुरू रविदास मंदिर को अनाधिकृत बताकर इसे सरकार को गिराने का आदेश दे दिया। सरकार ने पुलिस की मदद से इसे गिरा भी दिया। 500 साल पुराने इस गुरु रविदास जी के मन्दिर को गिराये जाने पर क्रोधित उनके भक्त रविदासियों ने न केवल दिल्ली में बल्कि इस जघन्य अपराध के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन किये, आन्दोलन किये, सभा सम्मेलनों में रोष प्रगट किया गया। इससे मौजूदा भाजपा सरकार ने दलित जन समूह के प्रदर्शनों से घबराकर इसे पुनः बनवाने की घोषणा की और उसने सुप्रीम कोर्ट को लिखकर दिया कि यह गलती से गिराया गया, हम उसे अपने वन विभाग की और जमीन देकर निर्माण करायेंगे।

दलितों के संविधान प्रदत्त अधिकारों पर निरन्तर प्रहार होता रहता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका कुछ ज्यादा ही है जबकि उन्हें पता है कि सदियों से इस तबके को कभी धार्मिक आधार पर, तो कभी परम्परा के नाम पर, तो कभी मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था के आधार पर प्रताड़ित किया गया और उसे गुलाम, दास, बंधुआ की जिन्दगी जिनके लिए मजबूर किया गया। अब जब देश के आजाद होने पर उसे संविधान ने न केवल समानता के अधिकार दिये हैं, बल्कि उसे समाज की मुख्य धारा में लाने के 'आरक्षण' जैसे कुछ विशिष्ट अधिकार दिये हैं, पर हिन्दू धर्मान्धन्ता से बेचैनी होना स्वाभाविक है। सरकारी नौकरियों में नियुक्ति व पदोन्नति के मामले में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर संसद की दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। इस पर सरकार की ओर से रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यह अत्यन्त संवेदनशील मुद्दा है और सरकार उच्च स्तर पर इस मुद्दे पर विचार कर रही है।

जहां विरोधी दलों के नेताओं ने आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असहमति व्यक्त की, वहीं सरकार से आरक्षण के विषय को संविधान की नौवीं अनुसूची में डालने की मांग की।

सुप्रीम कोर्ट के दलितों को दिये आरक्षण को संवैधानिक मौलिक अधिकार न मानने के फैसले से पूरा दलित समाज स्तब्ध है कि कैसे धीरे–धीरे उनके समता के संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है और आरक्षण जैसे विशिष्ठ अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। देश की सभी दलित सामाजिक संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपना रोष प्रकट करने के लिए 23 फरवरी को देशव्यापी बन्द का आयोजन किया और सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग की कि पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर नये सिरे से

लोकतंत्र बनाम भीड़तंत्र

तवलीन सिंह

कभी वे दिन थे जब मेरे जैसे लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गंभीरता से नहीं लिया करते थे। उनकी शाखाओं में मैं भी जाती थी दिल्ली के झंडेवाला इलाके के एक मैदान में, तो सिर्फ समझने के लिए कि इस संस्था में कौन–सी चीज है, जो अच्छे–खासे समझदार लोग इसमें शामिल हो जाते हैं बचपन में और फिर इससे जुड़े रहते हैं उमर भर। इस खोज में मेरी अच्छी दोस्ती एक सरसंघचालक से भी हुई थी, जिनको रज्जू भैया कहते थे। शाखा देखने के बाद मैं उनके साथ उनके कमरे के बाहर एक बरामदे में बैठ कर चाय पर चर्चा करती थी। देशभक्ति की बातें हुआ करती थीं, लेकिन राजनीति की बहुत कम।

जब से संघ के एक प्रचारक भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं, मैंने देखा है कि इस तथाकथित सांस्कृतिक संस्था ने अपना भेस बदल कर राजनीतिक बना लिया है। यह भी देखने को मिला है कि देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने लगे हैं संघ के सरसंघचालक। पिछले साल उन्होंने दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशाल पत्रकार सम्मेलन बुलाया था, जिसमें शामिल होने गए थे दिल्ली के जाने–माने पत्रकार और टीवी एंकर। याद है मुझे कि उस सम्मेलन में मोहन भागवत ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि गुरु गोलवलकर ने जो कभी सुझाव दिया था कि भारत की मुसलिम समस्या को खत्म करने के लिए हमको वहीं करना चाहिए जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था, उसको अब आरएसएस नहीं मानता है। दौर के साथ सोच भी बदल गई। लेकिन पिछले हफ्ते भागवत का दशहरा वाला भाषण सुन कर मेरे दिल में वही पुराने सवाल उठने लगे।

इन सवालों में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या अरएसएस के हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों के लिए बराबर का दर्जा मिलेगा या क्या उनको आदत डालनी होगी दूसरे दर्जे के नागरिक होने की? यह सवाल तब उठा जब भागवत ने स्पष्ट किया कि किसी भी भारतीय भाषा में 'लिंचिंग' शब्द है ही नहीं, सो जो लोग भारत को 'लिंचिंग्स' के लिए बदनाम कर रहे हैं उनका मकसद ही गलत है। इशारा किया सरसंघचालक ने कि ये इल्जाम लग रहे हैं पश्चिमी देशों की एक सोची–समझी साजिश के तहत।

ऐसा बिल्कुल नहीं है भागवतजी। कोई साजिश नहीं है। बदनाम भारतीय जरूर हुआ है, इन भीड़ हिंसाओं के कारण और वह इसलिए कि किसी सभ्य देश में जब किसी निहत्थे आदमी को सरेआम पीट–पीट कर मारा जाता है और उसके गर्व से वीडियो बनाते हैं लोग, तो एक देश अपने आप को सभ्य कहने का अधिकार खो देता है। मैंने कुछ ऐसी बातें ट्वीट करके कही भागवत के भाषण के बाद, तो मेरे पीछे पड़ गए मोदी के सोशल मीडिया समर्थक। गालियां खूब सुनाई और बार–बार पूछा मुझसे कि मेरा दिल सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों दुखता है। आंकड़े पेश किए गए, साबित करने के लिए कि इस साल मुसलमानों से कितने ज्यादा हिंदू मारे गए हैं भीड़ों द्वारा।

ऐसा हुआ भी होगा, लेकिन क्या ऐसा कोई हादसा हुआ है, जिसमें किसी हिंदू युवक को खंभे से घंटों बांध कर उससे अल्लाह–ओ–अकबर कहलाया गया हो? और वह भी डंडों और लाठियों से पीट–पीट कर? ऐसा झारखंड में हुआ था, तबरेज अंसारी के साथ। उससे जय श्रीराम कहलाया गया और उसने बार–बार कहा, लेकिन भीड़ का अत्याचार बंद नहीं हुआ। जोर–जोर से पड़ती रहीं उस गरीब पर लाठियां और सरिए। फिर पुलिसकर्मी को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवाया गया। चार दिन अंदरूनी जख्मों के कारण हिरासत में उसकी मौत हो गई।

'लिंचिंग' इसको कहते हैं। कुछ दिनों पहले जब दो दलित बच्चों को मार डाला गया था, इसलिए कि वे खुले में शौच कर रहे थे, उसको लिंचिंग नहीं कह सकते। वह निर्मम हत्या थी। दंगों को 'लिंचिंग' नहीं कह सकते हैं और न ही उसको 'लिंचिंग' कह सकते हैं, जब किसी संघ कार्यकर्ता के घर पर मुसलमान हमला करके जान से मार डालते हैं पूरे परिवार को। वह भी हत्या होती है सिर्फ।

'लिंचिंग' उसी हिंसा का नाम है, जो की जाती है सरेआम लोगों में भय पैदा करने के लिए। ऐसा करते आए हैं गोरक्षक गायों की तस्करी रोकने के बहाने। लेकिन संदेश यह गया है मुसलमानों को कि पशुपालन करना अब मुश्किल है। और वृद्ध गायों को मारना भी। नतीजा यह कि पुष्कर के पशु मेले में बिक्री सत्तानवे फीसद कम रही।

'लिंचिंग' से अगर नुकसान हुआ है तो भारत की लोकतांत्रिक छवि को, क्योंकि लोकतंत्र का आधार है कानून–व्यवस्था। जिन देशों में लोग आदत डाल लेते हैं कानून को अपने हाथों में लेने की, उन देशों में लोकतंत्र धीरे–धीरे कमजोर हो जाता है। इसलिए भागवतजी, बहुत जरूरी है कि आप लिंचिंग का असली मतलब समझ जाएं ताकि आप अपने कार्यकर्ताओं को लगा दें इस शर्मनाक, कायर हिंसा को रोकने में। •

और ब्राह्मणवादी सोच उसे आज भी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। वे 'आरक्षण' का सम्बल लेकर सदियों से कुचले हुए अपने जीवन को सुधार ले, वह उन्हें मंजूर नहीं, इसलिए दलितों के उत्थान के मार्ग में कानूनी दांव पेंच खड़ा करके हर रोज नई समस्या में उन्हें उलझा दिया जाता है।

अभी 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के एक कर्मचारी के मामले में प्रोन्नति में आरक्षण को गलत बताया और कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण कोई संवैधानिक मौलिक अधिकार नहीं है। इससे दलितों के अन्दर आरक्षण के इस नये फरमान कानून लाये और उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करे ताकि फिर कोई कानूनी दांवपेच के सहारे 'आरक्षण' जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर अड़ंगा न लगा सके। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस तुगलकी फरमान के खिलाफ सरकार पुनर्निरीक्षण याचिका कब लाती है या इस विषय पर पदोन्नति में आरक्षण देने पर फिर से नया कानून बनाकर इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डालती है? वरना दलित एकता इसके खिलाफ सड़कों पर आन्दोलित होगी क्योंकि जोर जुल्म की टक्कर में जयभीम हमारा नारा है। **– डा. सोहनपाल सुमनाक्षर**

पृष्ठ 1 का शेष....शूद्र एवं ब्राह्मणवाद

अछूत शूद्र

1. अनुसूचित जाति
2. हरिजन
3. अनुसूचित जनजातियां
4. आदिवासी

शूद्र समुदाय (अनार्य)

पिछड़ा वर्ग +	
अति पिछड़ा	= 52%
अनुसूचित जाति	= 15%
अनुसूचित जनजाति	= 7.5%
धार्मिक अल्पसंख्यक	= 10.5%
कुल	= 85.1%
	(बहुजन)

सवर्ण समुदाय (अनार्य)

ब्राह्मण	= 3.5%
क्षत्रिय भूमिहार	= 5.5%
वैश्य (मारवाड़ी)	= 6%
कुल	= 15%

अपने गौरवपूर्ण इतिहास को समझने के लिए ब्राह्मणों द्वारा रचित धर्म ग्रन्थों को राजनैतिक विश्लेषण करना जरूरी है। जब तक हम इनके वेद, पुराण, रामायण, मनु–स्मृति और अन्य धर्म ग्रन्थों की वास्तविकता को जान नहीं लेते, तब तक हम अपना इतिहास और अपने पूर्वजों की महानता को नहीं जान पायेंगे। इस संदर्भ में हम मनुस्मृति के कुछ श्लोकों की

संस्कारैमर्हति।
नास्याधिकारो धर्मडास्ति न धर्मात्प्रतिषेधनम्।।

प्रकरण 10/123

जो शूद्र ब्राह्मण की सेवा करता है वह किसी पाप का भागी नहीं होता है। उसे अपनी शुद्धि के लिए किसी प्रकार की विधि का सहारा लेना नहीं पड़ता। वह ब्राह्मण के धर्मानुष्ठानों में भाग नहीं ले सकता। अतः उस पर निषेद आरोपित करने की जरूरत नहीं है।

सहासनमभिप्रेत्सुत्कृष्टस्याप–कृष्टजः।
कट्या कृपताङ्गोनिर्वास्यः स्फिचं वास्यावकर्तयेत्।।

प्रकरण 8/280

शूद्र यदि ब्राह्मण या उच्च वर्ग के साथ बैठने का दुस्साहस करे तो राजा उसकी कमर पर दाग लगावाकर देश से निकाल दे। अन्यथा उसके नितंब को इस प्रकार कटवाये कि न वह मरने में गिना जाये न जीवितों में।

धर्मोपदेशं दर्पेण विप्राणामस्य कुर्वतः।
तप्तमासेचयेत्तैलं वक्तृ श्रोत्रे च पार्थिवः।। प्रकरण 8/271

यदि शूद्र घमंड में आकर ब्राह्मणों और असमानता की गहरी खाई में धकेल दिया।

मनुस्मृति के खिलाफ भी समाज में विरोध होते रहे। भारतीय दर्शन शास्त्र पर जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि ईश्वर सत्ता के विरोध में बौद्ध और जैन धर्म खड़े हैं वहीं चार्वाक दर्शन भी इस मनुवादी दर्शन के विरोध में है।

सूत्र युग की छह दर्शन हैं—न्याय, वैशेषिक, सांख्य, पूर्व मीमांसा और वेदान्त।

इससे न्याय और वैशेषिक दर्शन एक कोटि के हैं, सांख्य और योग एक कोटि के और पूर्व मीमांस और वेदान्त का परस्पर संबंध है।

न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के चार श्रोत हैं—1. प्रत्यक्ष, 2. अनुमान, 3. उपनाम और 4. शब्द।

वैशेषिक दर्शन के अनुसार—

''सभी भौतिक पदार्थ चार अणुओं से बने हैं–धरती, जल, अग्नि और पवन। इन अणुओं के विभिन्न रूप के संयोग होने के कारण अलग–अलग तरह के पदार्थ बनते हैं। इसके साथ यह दर्शन अन्य पांच तत्वों को मानते हैं—अंतरिक्ष, समय, आकाश, मन और आत्मा।

सांख्य दर्शन के अनुसार विश्व है।

ब्राह्मणवादी राजसत्ता के खिलाफ बुद्ध ने जितने बड़े पैमाने पर आन्दोलन चलाया और ईश्वर सत्ता के खिलाफ बिगुल फूंका वैसी चुनौती आजतक ब्राह्मणवाद को नहीं दी गई। हमारे संत कवियों में कबीर और रैदास अपनी रचनाओं के माध्यम से मनुवादी संस्कृति के खिलाफ जंगे–इन्कलाब की आवाज बुलंद तो की–मगर ईश्वर सत्ता को वैसी चुनौती नहीं मिली। जैसी बुद्ध ने दी थीं। बुद्ध के बाद एक बड़ी चुनौती अम्बेडकरवाद है मनुवादी संस्कृति के खिलाफ।

हमारी समझ बिल्कुल स्पष्ट है कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ जंग में हमें अपनी विरासत को नहीं भूलना चाहिए। बुद्ध, चार्वाक, कबीर, रैदास और अम्बेडकर के साथ–साथ आज की तारीख में मार्क्सवाद भी हमारे लिए बड़ी अहमियत रखता है।

जिस आदमी को ईश्वर की सत्ता में विश्वास है, वो आदमी क्रांतिकारी नहीं हो सकता। वे गांधी हो सकता है अम्बेडकर नहीं। वो पटेल हो सकता है, भगत सिंह नहीं। इसलिए अपना इतिहास को जानने के लिए और ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने के लिए बुद्ध से लेकर मार्क्स होते हुए अम्बेडकर को साथ लेकर हमें मंजिल तय करनी होगी। क्योंकि, ये सारे के सारे दर्शन ईश्वरवाद के विरोध के दर्शन ईश्वरवाद के विरोध के दर्शन हैं।

इन्हीं दर्शनों में हम शूद्रों की मुक्ति छिपी है। हमारे बहुत सारे मित्र अम्बेडकर और लोहिया को अपना मानते हैं, मगर जब बुद्ध और मार्क्स की बात उठती है तो वे लोग नाक–भौं सिकुड़ने लगते हैं। ऐसे लोगों को साथ लेकर भले ही कुछ समय के लिए सत्ता–सुख की प्राप्ति हो जाये, मगर समाज नहीं बदलेगा, शूद्रों को मुक्ति नहीं मिलेगी। इन्कलाब नहीं आयेगा।

1930 ई. में पेरियार ने गांधी जी को पत्र लिखते हुए कहा था, ''गांधी जी, कांग्रेस के अन्दर जिस तरह जात–पांत के आधार पर सारे नीतिगत फैसले लिये जा रहे हैं। अगर यही स्थिति कायम रही तो देश में डेमोक्रेसी नहीं आयेगी, ब्राह्मणोक्रेसी आयेगा।''

और 15 अगस्त 1947 के बाद देश में डेमोक्रेसी तो नहीं आया, ब्राह्मणोक्रेसी जरूर आ गया। •

व्याख्या करना चाहेंगे।

लोकनान्तु विवृदध्यर्थ
मुखबाहरूपादतः।
ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च
निवर्तयत्।। प्रकरण 1/33

अर्थ–जनता के कल्याण की उत्कृष्ट इच्छा के कारण ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, घुटनों से वैश्य तथा चरणों से शूद्र की उत्पत्ति की।

विद्या ब्राह्मणमेरत्याह शेव
द्यिष्टेडस्मि रक्ष मान्।
असूयकाय मां मा दास्तन्था स्यां
वीर्यवत्तमा।। प्रकरण 2/117

विद्या पर ब्राह्मणों का अधिकार है। उन्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए। किसी कुपात्र को विद्या दान नहीं करना चाहिए। अन्यथा विद्या की महत्ता क्षीण हो जाएगी। कुपात्र विद्या अर्जित कर उसका दुरुपयोग कर सकता है।

स्वर्गार्थमुभयार्थ वा
विप्रानाराधये त्तु सः।
जात ब्राह्मणशब्दस्य सा ह्मस्य
कृत्तकृत्यता।। प्रकरण 10/119

जो शूद्र ईहलोक में वृत्ति की और परलोक में स्वर्ग की कामना करता है। ऐसे शूद्र को ब्राह्मण की सेवा में संलिप्त होना चाहिए। शूद्र का जन्म ब्राह्मण की सेवा करने के लिए हुआ है।

न शूद्रे पातंक किंचिन्न च
को धर्म का उपदेश देने की धृष्टता करे तो राजा उसके मुंह व कान में खौलता तेल डलवा दे।

शूद्रं तु कारयेद्दास्यं
क्रीतमक्रीतमेव वा।
दास्यायैव हि सृष्टोऽसौ
ब्राह्मणस्य स्वयम्भुत्वा।।
प्रकरण 8/412

खरीदे या बिना खरीदे शूद्र से ब्राह्मण दास का काम ले सकता है। क्योंकि ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए शूद्रों की सृष्टि की है।

शक्तेनापि हि शूद्रेण न
कार्योधनसंचय।
शूद्रोहि धनमासाद्य ब्राह्मणनेव
बाधते।। प्रकरण 10/126

भले ही शूद्र समर्थ हो, किन्तु उसे धन संचय का मोह नहीं करना चाहिए। धनवान होकर शूद्र ब्राह्मण पर हावी होने का प्रयास कर सकता है।

मनुस्मृति में लगभग जितने श्लोक हैं सबके सब शूद्रों के विरोध में रचे गये पाखंडपूर्ण, अमानवीय और मेहनतकश आवाम को गुलाम बनाकर ब्राह्मणों की राजसत्ता कायम करने वाले श्लोक हैं। इस साजिश में ब्राह्मण अक्षरशः सफल हुए और हमारी अनार्य संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान–विज्ञान पर अधिकार जमा कर हमें दास बनाकर नफरतों में दो ही आधारभूत कोटियां हैं–प्रकृति और पुरुष। पुरुष के प्रभाव से प्रकृति का विकास होता है और संसार का इतिहास इसी विकास का इतिहास है। इस दर्शन का एक अन्य महत्वपूर्ण देन है–त्रिगुन सिद्धान्त।

प्रकृति की तीन द्वंद्वात्मक विशेषताएं हैं–सत्व, रजस, तमस। इस दर्शन के शब्दों में सारे बन्धन अज्ञान के फल हैं। सिर्फ ज्ञान द्वारा ही मुक्ति हो सकती हैं। इस दर्शन को निरीश्वरवादी दर्शन कहा जाता है। कपिल ऋषि के सांख्य सूत्र के अनुसार–''भगवान की कल्पना अनावश्यक है। क्योंकि किसी भी प्रमाण के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता।''

पूर्व मीमांसा दर्शन में वेदों की व्याख्या की गई है। और वेदों को ही धर्म की धुरी माना गया है। वेदांत दर्शन उपनिषदों के ब्रह्म को ही सत्य और जगत को मिथ्या मानता है। इसका प्रधान प्रणेता यदि शंकराचार्य हैं। वेदान्त की दो धाराएं हैं–द्वैत और अद्वैत। शंकर अद्वैत के पक्षधर थे।

यही वेदान्त दर्शन ने ईश्वर को स्थापित कर ब्राह्मणवादी राजसत्ता स्थापित की है। जिससे हमारे देश को भारी नुकसान हुआ है। जिसके चलते बार–बार देश गुलाम बना

वक्त की धड़कने सुनो!

अरे दलितो!
सुनो!
वक्त की धड़कने सुनो!
शताब्दियों के तप्त सिक्तकणों पर
चलते–चलते
पड़ गये जो पांव में फफोले तुम्हारे
दमन–दरख्तों के तीक्ष्ण कांटे
बहुत चुभे हैं बदन में तुम्हारे
पसीना तुम्हारा,
खून तुम्हारा,
आबरू तुम्हारी
चूसती रही लपलपाती जिव्हा
विषमता की गहरी नदी की गहरी
धार में
परम्पराओं की जोंक
चिपककर अंग में तुम्हारे
पर वक्त लेकर 'भीम' अंगड़ाई
बांधकर टकटकी
ताक रहा हे तुम्हारी ही तरफ
इसलिए सुनो! समझो
उसके इशारों को समझो
चढ़ बैठो
विषमता के तोंदले पेट पर
उसकी नाभि को ही कुचल डालो
वक्त कुछ और सोचने का नहीं
बस सुनो गौर से सुनो
तुम वक्त की धड़कने सुनो।

– रणजीत सिंह मेहर

बाबा जी

खड़े सामने कर फैलाये,
देखो अपने बाबा जी।
समझा समझा कर कहते हैं,
बात हमारी मानो जी।
शिक्षित बनो, संगठित होकर,
संघर्ष करो बन बाबा जी।
मिट जाये अज्ञान अन्धेरा,
ज्ञान की चादर तानो जी।
पढ़–लिखकर अफसर बन जाओ
ज्ञानवान ज्यों बाबा जी।
सबको सब अधिकार दिलाओ,
न्याय कलम संधानों जी।
अंगुली उठाकर कहें सभी से,
देखो गौर से बाबा जी।
संसद तक तुमको जाना है
बात पते की जानो जी।

– रामसहाय बरैया

हिमायती

हिन्दी पाक्षिक पत्र

अम्बेडकर मिशन का प्रतिनिधि पत्र है। इसे मंगाइये, पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइये। इससे जन चेतना जागृत होगी और दलित संघर्ष तीव्र होगा। इसका सहयोग वार्षिक शुल्क 100/- और आजीवन 1000/- मनीआर्डर से आज ही भेजें–

सम्पादक : हिमायती
बी 3/9, दूसरी मंजिल,
माडल टाउन-1, दिल्ली-110009

हिमायती
4 / मार्च (प्रथम), 2020 (कुल पृष्ठ 4)
पोस्टल डिस्पेच तिथि : 1-2 मार्च, 2020

आर. एन. आई. नं. 40611/62
रजि. G-3/DL(N)/090/2018-2020
प्रकाशन तिथि : 27 फरवरी, 2020

सामाजिक क्रांति के महानायक–बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर

संत प्रेमदास जस्सल

भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर बहुजन समाज के महान सपूत एवं देश में सामाजिक क्रांति के महानायक थे। आप आम आदमी के मानवाधिकारों के लिए एक ऐसे पथ–प्रदर्शक बने जिन्होंने भारतीय जनसाधारण के लिए एक सफलतापूर्वक अभियान चलाकर पिछड़े वर्गों के उत्थान का कार्य किया। क्योंकि 600 वर्ष पूर्व मध्ययुग के संतों की क्रांति को सम्प्रदायक तत्वों ने लुप्त कर दिया था। डॉ. अम्बेडकर ने पुनः उसी समता और समरसता की विचारधारा को मुख्य रखकर मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष का शंखनाद किया। आपकी उच्च शिक्षा के कारण आपको संविधान निर्माण का कार्य सौंपा गया, जिससे आप संविधान के जनक कहलाए। यदि डॉ. अम्बेडकर अंग्रेजों से दलितों के लिए अधिकार छीन सकते थे तो संविधान निर्माण में दलितों को अधिकार दिलाने के मामले में पीछे कैसे रह सकते थे। उन्होंने अथक परिश्रम द्वारा संपूर्ण के दलित वर्ग के लिए बहुत से की परीक्षा पास करने वाला भीमराव पहला विद्यार्थी था। जनवरी, 1908 को भीमराव को एलफिंस्टन कॉलेज में प्रवेश मिला यहां से आपने स्नातक की डिग्री प्राप्त की।

भीमराव को अपने पैरों पर खड़े होकर अपना उज्ज्वल भविष्य बनाना था। सन् 1913 में अपने बड़ौदा रियासत के महाराज से छात्रवृत्ति प्राप्त कर अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर 1915 में वहां से एम.ए. की उपाधि प्राप्त की। वहीं से ही 1916 में पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त कर आप अमेरिका से लंदन पहुंच कर लंदन यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया, परन्तु छात्रवृत्ति समाप्त होने के कारण आपको 1917 में ही भारत लौटना पड़ा। प्रतिज्ञा पत्र की शर्तों के पालन हेतु डॉ. अम्बेडकर बड़ौदा रियासत की सेवा के लिए बड़ौदा पहुंच गए। कुछ समय विभिन्न विभागों में अनुभव दिलाने के बाद महाराज आपको वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। अतः उन्हें सैन्य सचिव नियुक्त किया गया। ऐसे उच्च पद पर आसीन होने के बावजूद आपको यहां भी अछूतपन सभा स्थापित की गई। उनकी आवाज में वेदना थी, एक कसक और तड़प थी। उनका कथन था 'गुलामों को यह आभास करा दो कि वे गुलाम हैं फिर वे विद्रोह कर देंगे।'' आपकी दर्द भरी आवाज ने मूक एवं गरीब जनता को जागृत कर दिया। आप जानते थे कि आजादी तथा अधिकार कभी भिक्षा की तरह मांगने से नहीं मिलते। इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। गांव के लोगों की भलाई के लिए तालाब आदि बनवाये जाते हैं। ऐसा दुखद समय था जब उस तालाब से पशु–पक्षी तो पानी पी सकते हैं परन्तु निम्नवर्ग के लोग उससे पानी नहीं पी सकते थे। डॉ. अम्बेडकर ने मार्च, 1927 को महाड़ नामक स्थान पर दलितों की एक विशाल सभा आयोजित की। उसमें अध्यक्षीय भाषण में कहा कि आप दास बनकर श्रम न करो। आप शिल्पकार हो अपने में स्वाभिमान की भावना उत्पन्न करो और अपनी शक्ति को पहचानो। इस तरह अपने लोगों का जुलूस लेकर चबदार तालाब पर गए और सबने पानी पीया। अछूतों ने सवर्णों के तालाब से पानी पीकर सदियों से लगे प्रतिबंध का खात्मा किया। आपकी इस घटना ने भारत के अछूतों में एक अभूतपूर्व हिम्मत जगाई।

सन् 1930 में गोलमेज अधिवेशन में दलितों का नेतृत्व करते हुए आपने मांग की कि दलित वर्ग को दूसरे नागरिकों के समान अधिकार दिये जाएं, कानून में प्रत्येक प्रकार का भेदभाव व समाज में ऊंच–नीच पूर्णतः समाप्त हो। विधान सभाओं में अपने प्रतिनिधि अपने लोगों द्वारा ही चुनने की छूट हो। दलितों के लिए सरकारी नौकरियों में पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाए। इस प्रकार दलितों के अधिकारों के लिए बाबा साहब संघर्ष करते रहे। अंततः 24 सितंबर, 1932 को गांधी और अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ जो 'पूना पैक्ट' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारत की स्वतंत्रता के बाद 30 अगस्त, 1947 को आपको संविधान की ड्राफटिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। यदि डॉ. अम्बेडकर अंग्रेजों से दलितों के लिए अधिकार छीन सकते थे तो संविधान निर्माण के समय। दलितों को अधिकार देने के मामले में पीछे कैसे रह सकते थे? भारतीय संविधान में भी समस्त दलित वर्ग के लिए बहुत सी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई। एक दिन बाबा साहब ने कहा था कि **बड़ी कठिनाई के साथ मैं यह काफिला यहां तक ला सका हूं। चाहे कुछ भी हो यह काफिला आगे ही बढ़ता रहना चाहिए। यदि मेरे अनुयायी इसको आगे न ले जा सकें तो भी इस काफिले को किसी भी हालत में पीछे नहीं जाने देना चाहिए।** करोड़ों लोगों को जगाकर और उन्हें प्रगति के मार्ग पर खड़ा करके आप 6 दिसम्बर, 1956 को परिनिर्वाण को प्राप्त हुये। आज बाबा साहब हमारे बीच नहीं हैं। परन्तु वे हमारी प्रगति के बहुत से मार्ग खोल गए हैं। यहां तक कि हमारे छीने गए अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए एक महामंत्र 'शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो' भी देकर गए हैं जिस पर अमल करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। •

मूलभूत अधिकार व सुविधायें उपलब्ध कराईं। आज उनकी शक्ति के बल पर ही दलित वर्ग के लोग अपने आपको गर्व से भारतीय नागरिक मानते हैं।

भीमराव का जन्म माता भीमाबाई की कोख से 14 अप्रैल, 1891 में सैनिक छावनी महु, इन्दौर, मध्यप्रदेश में हुआ था। तत्काल आपके पिता रामजीराव अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे। सन् 1894 में रामजीराव सेना से सेवानिवृत्त होकर सपरिवार बम्बई में आकर रहने लगे। संतों के अनुयायी पिता रामजीराव अपने बेटे भीम को पढ़ाने का संकल्प कर चुके थे। वे भीम को एक अंग्रेज के स्कूल में ले गए। वहां भीम को प्रवेश तो मिला परन्तु कई एक शर्तें लगाई गईं कि वह अपने घर से अपना टाट बैठने के लिए लाएगा, दूसरे बच्चों से दूर बैठेगा, ब्लैकबोर्ड के पास नहीं जाएगा, वह मटके से खुद पानी नहीं पिएगा तथा दूसरे बालकों के साथ खेलों में भाग नहीं लेगा। पिता रामजीराव ने उस अछूतपन के दौर में भी अपने बेटे भीम को एक महान विद्वान बनाने की ठान रखी थी। अपने परिश्रम के बल पर अस्पृश्य छात्रों में मैट्रिक का घोर अपमान झेलना पड़ा। सन् 1919 में आपने कोल्हापुर के महाराज छत्रपति शाहूजी से मिलकर जनसाधारण के जनजागरण हेतु एक पाक्षिक समाचार पत्र 'मूकनायक' का प्रकाशन आरम्भ किया।

सन् 1921 में पुनः लंदन जाकर मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। 1923 में आपने 'डॉक्टर ऑफ साइंस' की डिग्री प्राप्त कर उसी वर्ष डॉ. अम्बेडकर एम.ए., पीएच.डी., एम.एससी और बार एट–लॉ बनकर वापिस बम्बई आ गए। शिक्षा के दौरान लंदन में विद्यार्थियों की यूनियन में दिए गए 'भारत में एक उत्तरदायी सरकार के दायित्व नामक एक लेख ने लंदन के शिक्षा क्षेत्रों में हलचल मचा दी और यह कहा जाने लगा कि डॉ. अम्बेडकर एक क्रांतिकारी भारतीय हैं। इस प्रकार के अनेकों उदाहरणों से वह अपने आप को एक सच्चा राष्ट्र भक्त प्रमाणित कर चुके थे। वे अब अछूतपन के अभिशाप को भारतीय समाज से दूर भगाना चाहते थे। मार्च, 1924 में आपने प्रमुखतः से समाज सुधार का काम शुरू किया। 20 जुलाई, 1924 को आपके प्रयासों द्वारा बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी

लघु कथा

मैनेजमेंट

विकास यादव

एक दिन एक कुत्ता जंगल में रास्ता भटक गया। तभी उसने देखा कि एक शेर उसकी तरफ आ रहा है। कुत्ते की सांस रुक गयी। उसने सोचा–आज तो काम तमाम हो गया मेरा।

उसने सोचा और तुरंत बुद्धि का फार्मूला इस्तेमाल किया। फिर उसने सामने कुछ सूखी हड्डियां पड़ी देखीं।

वो आते हुए शेर की तरफ पीठ करके बैठ गया और एक सूखी हड्डी को चूसने लगा। वह जोर–जोर से बोलने लगा, ''वाह! शेर को खाने का मजा ही कुछ और है। एक और मिल जाए तो पूरी दावत हो जायेगी।'' यह कहकर उसने जोर से डकार मारी।

इस बार शेर सोच में पड़ गया। उसने सोचा–यह कुत्ता तो शेर का शिकार करता है।! जान बचाकर भागने में ही भलाई है। शेर वहां से जान बचाकर भाग गया।

पेड़ पर बैठा एक बन्दर यह सब तमाशा देख रहा था। उसने सोचा यह अच्छा मौका है, शेर को सारी कहानी बता देता हूं। शेर से दोस्ती भी हो जाएगी और उससे जिंदगी भर के लिए जान का खतरा भी दूर हो जायेगा।

वह फटाफट शेर के पीछे भागा। कुत्ते ने बन्दर को जाते हुए देख लिया और समझ गया कि कोई गड़बड़ है।

उधर बन्दर ने शेर को सारी कहानी बता दी कि कैसे कुत्ते ने उसे बेवकूफ बनाया है।

शेर जोर से दहाड़ा–''चल मेरे साथ, अभी उसकी लीला खत्म करता हूं।'' और बन्दर को अपनी पीठ पर बैठा कर शेर कुत्ते की तरफ चल दिया।

कुत्ते ने शेर को आते देखा तो एक बार फिर उसके आगे जान का संकट आ गया। मगर फिर हिम्मत करके कुत्ता उसकी तरफ पीठ करके बैठ गया। अब उसने दूसरा फार्मूला इस्तेमाल किया और जोर–जोर से बोलने लगा–''इस बन्दर को भेजे एक घंटा हो गया। साला एक शेर को फंसा कर नहीं ला सकता!''

यह सुनते ही शेर ने बंदर को वहीं पटका और वापस पीछे भाग गया।

अंतत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं–मुश्किल समय में अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोएं।

हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क ही करें, क्योंकि यही जीवन में क्रांति लेकर आएगा। असली सफलता मिलेगी।

आपकी ऊर्जा, समय और ध्यान भटकाने वाले कई बन्दर आपके आस–पास हैं, उन्हें पहचानिए और उनसे सावधान रहिये। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, किन्तु अस्त–व्यस्त न रहिए।' •

स्वामी, सम्पादक/ प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा वन्दना आफसेट प्रिन्टर्स, A-9 सराय पीपलथला एक्सटेंशन, दिल्ली-33 में मुद्रित तथा रजि. कार्यालय : 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-9 से प्रकाशित। ❑ सह सम्पादक - श्रीमती त्रिलोचन सुमनाक्षर ❑ व्यवस्थापक : जय सुमनाक्षर, फोन : 27421449, मो. 9810278936 **Email-sumanakshar@ymail.com**

नोट : हिमायती में प्रकाशित रचनाओं के लिए सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं। हिमायती से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय तक ही सीमित है।

सम्पादकीय कार्यालय : बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-110009